रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235392 CG-DL-E-27042022-235392

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1860] No. 1860] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

का.आ. 1953(अ).— भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 जिसे इसकी अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अतंगर्त आने वाली परियोजनाओं जिनमें अनुसूची की मद सं. 7(छ) के अंतर्गत आने वाले आकाशी रज्जू मार्ग भी हैं, के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) की अपेक्षा के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाथित की गई थी;

और मंत्रालय को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कथन किया गया है कि रज्जू मार्ग देश के परिवहन नेटवर्क का महत्वपूर्ण घटक हैं चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग अन्तिम मील संयोजकता और साथ ही गतिशीलता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है और इससे पहले इन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति की आवश्यकता केवल वर्ष 2006 में उत्पन्न हुई थी और इससे पहले ये परियोजनाएं पर्यावरण अनापत्ति की अपेक्षा से अपवर्जित की गई थीं । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह उक्त अधिसूचना का पुनर्विलोकन करें और पूर्व पर्यावण अनापत्ति (ईसी) की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं से रज्जू मार्गों को अपवर्जित करे;

और लोक उपयोगी रज्जू मार्गों को पत्र एफ.सं. 5-2/2017–एफसी तारीख 05.08.2019 के अनुसार कितपय शर्तों के अधीन रहते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की परिधि से अपवर्जित कर दिया गया है;

2900 GI/2022 (1)

और मामला, विचारविमर्श के लिए इस मंत्रालय में अवसंरचना विशेषज्ञ मूल्याकंन समिति को निर्दिष्ट किया गया था। व्यापक विचारविमर्श के पश्चात्, उक्त विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि आकाशीय रज्जू मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन का पर्यावरण अनुकूल पद्धति है जिसमें सड़कों या राजमार्गों की तुलना में पर्यावरण पर कम से कम समाघात हो और यह सिफारिश की थी कि आकाशीय रज्जूमार्गों परियोजनाओं को समय-समय पर अधिकथित कतिपय पर्यावरण सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए ईआईए अधिसूचना, 2006 की परिधि से अपवर्जित किया जाए;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना का.आ.सं. 491 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 7 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, शीर्ष ''पर्यावरण सेवाएं सहित भौतिक अवसंरचना'' के अधीन मद 7(छ) और उससे सबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. आईए-3-22/17/2021-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित की गई थी और उसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 1886(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2022

**S.O.** 1953(E).—Whereas the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), regarding requirement of prior Environmental Clearance (EC) for the projects covered in its Schedule (hereinafter referred to as the said notification) including aerial ropeways which are covered under item 7(g) of the Schedule;

And whereas, the Ministry is in receipt of representation from Ministry of Road Transport and Highways stating that ropeways are an important component of the transport network of the country as it can be used to provide last mile connectivity as well as mobility in hilly areas and the requirement of environmental clearance for these projects came only in 2006 and before that these projects were excluded from the requirement of Environmental Clearance. Further, the Ministry was requested to review the said notification and to exclude ropeways from the projects requiring prior Environmental Clearance (EC);

And whereas, Public utility ropeways have been excluded from the ambit of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 0f 1980) subject to certain conditions as per letter F. No. 5-2/2017-FC dated 05.08.2019;

And whereas, the matter was referred to the Expert Appraisal Committee of Infrastructure sector in this Ministry for deliberation. After detailed deliberation, the said Expert Committee recommended that aerial ropeway is an environment friendly mode of transport in hilly areas with least impact on environment compared to Roads or Highways and recommended that aerial ropeway projects may be excluded from the ambit of EIA Notification, 2006 subject to certain environmental safeguards laid down from time to time.

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, *vide* number S.O. 491(E) dated the 2<sup>nd</sup> February 2022, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the Public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 7<sup>th</sup> February, 2022;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the draft notification mentioned in para 5 above have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely,-

In the Schedule to the said notification, under heading, "Physical Infrastructure including Environmental Services", Item 7(g) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. IA3-22/17/2021-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and last amended *vide* the notification number S.O. 1886(E), dated the 20<sup>th</sup> April, 2022.